रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एन.-अ.-17102024-258006
CG-TN-E-17102024-258006

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 798] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 12, 2024/आश्विन 20, 1946
No. 798] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 12, 2024/ASVINA 20, 1946

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान

अधिसूचना

तंजावुर, 24 सितम्बर, 2024

फा. सं. I-12052/3/2023-ID.—सीनेट, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2021 (2021 का 19) की धारा 25 और धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन अध्यादेशों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, तंजावुर,तमिलनाडु शैक्षणिक अध्यादेश, 2024 है।

   (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ- (1) इन अध्यादेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) "शैक्षणिक" से संस्थान के शिक्षण और अनुसंधान से संबंधित क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं;

   (ख) "अधिनियम" से राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2021 (2021 का 19) अभिप्रेत है;

   (ग) “अनुमोदित’’ से सीनेट द्वारा उपबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रयोग करके समुचित निकाय द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम अभिप्रेत है;

   (घ) "कैलेंडर" से विभिन्न शैक्षणिक क्रियाकलापों की तारीखें अभिप्रेत है;

(ङ) "केंद्र" से विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में लगी इकाई अभिप्रेत है;

(च) "व्यापक परीक्षा" से किसी स्नातकोत्तर छात्र के अनुसंधान कार्य शुरू करने के लिए तैयारी का निर्धारण करने हेतु उसका लिखित या मौखिक या दोनों मूल्यांकन अभिप्रेत है;

(छ) "पाठ्यक्रम" से किसी सेमेस्टर या ट्रायमेस्टर के दौरान पूरे किए जा सकने वाले विषयों का अनुक्रम अभिप्रेत है;

(ज) "क्रेडिट" से किसी पाठ्यक्रम का अनुमोदित भारांक, जो किसी विद्यार्थी से अपेक्षित पूर्ण प्रयास पर आधारित है, अभिप्रेत है;

(झ) "कार्यक्रम की पाठ्यचर्चा" से पाठ्यक्रमों और अन्य शैक्षणिक क्रियाकलापों का विनिर्दिष्ट समुच्चय अभिप्रेत है;

(ञ) "विभाग" से समान शैक्षणिक अभिरुचि का अनुसरण करने वाले शैक्षणिक कर्मचारिवृन्दों का एक समूह अभिप्रेत है।

(ट) "सेमेस्टर समाप्ति" से विनिर्दिष्ट तारीखों के दौरान किसी सेमेस्टर या ट्रायमेस्टर के अंत में आयोजित परीक्षा अभिप्रेत है ;

(ठ) "अन्तरविषयक कार्यक्रम" से ऐसा शैक्षणिक कार्यक्रम अभिप्रेत है जिसमें एक से अधिक विभाग या स्कूल या केंद्र अंतर्वलित हैं;

(ड) "क्षतिपूर्ति या छूटी हुई परीक्षा" से ऐसी परीक्षा अभिप्रेत है जो ऐसे छात्र के लिए है जो नियमित अनुसूचित परीक्षा में उपस्थित होने में समर्थ नहीं है;

(ढ) "मध्य सेमेस्टर परीक्षा " से सेमेस्टर के मध्य के दौरान आयोजित परीक्षा अभिप्रेत है;

(ण) "कार्यक्रम" से शैक्षणिक क्रियाकलापों का क्रम अभिप्रेत है जिसका परिणाम डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्राप्त करना है;

(त) "रजिस्ट्रीकरण" से उन पाठ्यक्रमों या अनुसंधान में छात्र द्वारा नामांकन अभिप्रेत है जो, अध्ययन कार्यक्रम द्वारा यथाअपेक्षित छात्र किसी सेमेस्टर या ट्रायमेस्टर के दौरान करना चाहता है;

(थ) "सत्र" से ग्रीष्मकालीन-अवधि के साथ दो नियमित सेमेस्टर या तीन नियमित ट्रायमेस्टर को शामिल करने वाली अवधि अभिप्रेत है;

(द) "छात्र" से संस्थान की नामावली पर शामिल वास्तविक छात्र अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का जो इसमें प्रयुक्त किए गए हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं किन्तु अधिनियम या परिनियमों में परिभाषित किए गए हैं, का वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम या परिनियमों में है।

3. शैक्षणिक कार्यक्रम - शैक्षणिक डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र कार्यक्रम निम्नलिखित सन्नियमों के अनुसार होंगे, अर्थात् : -

(i) अधिनियम और परिनियमों के उपबंधो के अनुसार स्थापित किए जा सकने वाले विभागों या विद्यलयों या केंद्रों द्वारा विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से खाद्य प्रौद्योगिकी और सहबद्ध विज्ञान, व्यवसाय प्रबंधन और उद्यमिता के क्षेत्र में विद्वता की प्रगति और ज्ञान के प्रसार पर ध्यान केंद्रित करना प्रस्तावित किया जा सकता है;

(ii) इन अध्यादेशों के अधीन संस्थान द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक शैक्षणिक कार्यक्रम, समय-समय पर सीनेट द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कार्यक्रम के अधीन पेश किया जाएगा;

(iii) सीनेट, अधिनियम या परिनियमों के अनुसार इसकी व्यवहार्यता तथा वांछनीयता के आधार पर विद्यमान शैक्षणिक कार्यक्रम में पुनरीक्षण या नए शैक्षणिक कार्यक्रम के पुर:स्थापन के लिए प्रत्येक प्रस्ताव के परीक्षण पश्चात संस्थान के शासी बोर्ड को अनुमोदन के लिए उपयुक्त सिफारिशें करेगा;

(iv) प्रत्येक विनिर्दिष्ट कार्यक्रम, संस्थान के प्रत्येक शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया, अनुज्ञेय प्रवेश, पात्रता मानदंड या कोई अन्य उपयुक्त ब्यौरे विनिर्दिष्ट करेगा;

(v) संस्थान के प्रत्येक शैक्षणिक कार्यक्रम की पाठ्यचर्या या पाठ्यचर्या में परिवर्तन के लिए सीनेट का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा;

(vi) सीनेट, शैक्षणिक कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात् किसी छात्र को प्रदान की जाने वाली प्रत्येक डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र के रूपविधान का अनुमोदन करेगा और डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र के रूपविधान में कोई भी पुनरीक्षण सीनेट के अनुमोदन के पश्चात ही किया जाएगा;

(vii) संस्थान की मानद डॉक्टरेट की उपाधि या सम्मानार्थ उपाधि का प्रदत्त किया जाना डॉक्टरेट उपाधि के लिए शासी संस्थान के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा ।

4. प्रवेश:- (1) संस्थान में, अध्ययन के प्रत्येक अनुमोदित पाठ्यक्रम या कार्य में प्रवेश योग्यता के आधार पर होगा, जिसका निर्धारण संबंधित पाठ्यक्रम या कार्यक्रम की परिधि और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सीनेट द्वारा यथा अनुमोदित पारदर्शी और युक्तियुक्त मानदंडों, के माध्यम से किया जाएगा और संस्थान प्रत्येक वर्ष प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व एक विवरणिका या प्रवेश पुस्तिका के माध्यम से भी इसका प्रकटन करेगा, और जब तक अन्यथा आवश्यक न हो, राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा संस्थान में छात्र के प्रवेश के लिए विकल्प होगा।

(2) ऊपर विनिर्दिष्ट की गई परीक्षण मेरिट के अतिरिक्त, कार्यक्रम के आधार पर समूह-चर्चा या व्यक्तिगत-साक्षात्कार या दोनों, आयोजित किए जा सकते हैं, जैसा सीनेट द्वारा विनिश्चय किया जाए।

(3) संस्थान के किसी भी अनुमोदित शैक्षणिक कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या, ऐसे मानव संसाधन की अपेक्षाओं के अनुमानों और साथ ही संस्थान द्वारा सुनिश्चित किए गए संसाधनों को भी ध्यान मे रखते हुए, समय-समय पर सीनेट द्वारा विनिश्चित की जाएगी और संस्थान, केंद्रीय सरकार की आरक्षण नीति का पालन करेगा।

(4) सभी प्रवर्गों के छात्रों के लिए प्रवेश संबंधी अपेक्षाएं और प्रक्रियाएँ सीनेट द्वारा यथा अधिकथित होंगी।

(5) संस्थान के किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम में अनंतिम रूप से या अन्यथा प्रवेश पाने वाला प्रत्येक छात्र नियत अवधि के भीतर सम्यक रूप से सत्यापन के लिए अर्हक डिग्री या डिप्लोमा या अनंतिम प्रमाण पत्र और सीनेट द्वारा यथा विहित ऐसे अन्य दस्तावेजों की प्रतियां, वास्तविक या डिजिटल रूप से प्रस्तुत करेगा।

(6) कोई भी छात्र जो विनिर्दिष्ट तारीख तक अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है या प्रवेश के लिए किसी अन्य नियत अपेक्षा को पूरा करने में विफल रहता है का अनंतिम या अन्यथा, प्रवेश, सीनेट द्वारा रद्द किया जा सकता है।

(7) यह सुनिश्चित करना संस्थान का उत्तरदायित्व होगा कि शैक्षणिक कार्यक्रम में प्रवेश, स्वीकृत प्रवेश संख्या और इन अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार समाज के वंचित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों के अनुसार हो ।

(8) यदि बाद में, किसी समय यह पाया जाता है कि छात्र ने प्रवेश लेते समय कुछ मिथ्या जानकारी दी थी या कुछ सुसंगत जानकारी छिपाई थी, तो छात्र का प्रवेश सीनेट द्वारा रद्द भी किया जा सकता है।

5. स्नातक डिग्री कार्यक्रम- (1) स्नातक डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश वर्ष में एक बार दिया जाएगा।

(2) स्नातक डिग्री कार्यक्रम में विदेशी नागरिकों या अनिवासी भारतीयों या भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) के प्रवेश की संख्या कार्यक्रम में अधिकथित उपबंधों के अनुसार नियर्त की जाएगी ;

(3) स्नातक डिग्री कार्यक्रम में, छात्रों को केवल शैक्षणिक कार्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा, किंतु सीनेट बहु-प्रवेश और बहु-निकास विकल्पों के साथ पार्श्व प्रवेशों के लिए उपबंध कर सकती है।

(4) यदि कोई छात्र कार्यक्रम को पूरा किए बिना बीच में ही छोड़ देता है, तो वह उत्तीर्ण प्रमाणपत्र या कोई अन्य समुचित अवार्ड प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(5) दोहरी डिग्री कार्यक्रमों और एकीकृत कार्यक्रमों के सिवाय सभी स्नातक डिग्री कार्यक्रम सामान्यत: चार वर्ष की अवधि के होंगे।

(6) सीनेट, सीमित संख्या में छात्रों को स्थानों की उपलब्धता या ऐसे छात्र की अभिरुचि या छात्र की शैक्षणिक प्रगति के अनुसार उसके अध्ययन के कार्यक्रम को बदलने की अनुमति दे सकती है।

(7) स्नातक डिग्री कार्यक्रम में छात्र, उपबंध, जो सीनेट द्वारा अधिकथित किए जाएंगे, के अनुसार एकीकृत दोहरी डिग्री कार्यक्रम या डबल-मेजर या अतिरिक्त माइनर डिग्री के लिए मेरिट के आधार पर पात्र होंगे।

6. स्नातकोत्तर कार्यक्रम- (1) स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा या स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, कार्यकारी मास्टर डिग्री कार्यक्रम और डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम सहित स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता अपेक्षाएं और आवृत्ति, सीनेट द्वारा विनिश्चित की जाएंगी, परंतुक, कार्यकारी मास्टर डिग्री कार्यक्रम कामकाजी वृत्तिकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

(2) अपनी अर्हक डिग्री के अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे अभ्यार्थियों पर स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अनंतिम प्रवेश के लिए विचार किया जा सकता है, परंतुक वे सीनेट द्वारा अधिकथित अन्य सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

(3) स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का प्रस्ताव देने वाले विभाग, विद्यालय या केंद्र, स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीनेट द्वारा नियत न्यूनतम प्रवेश अपेक्षाओं के अलावा अतिरिक्त अपेक्षाएं नियत कर सकते हैं।

7. शैक्षणिक कैलेंडर.- (1) शैक्षणिक कैलेंडर, एक शैक्षणिक सत्र के दौरान 'शैक्षणिक कार्यक्रमों' और 'अध्ययन कार्यक्रमों' से संबंधित शैक्षणिक क्रियाकपालों की अनुसूची होगी।

(2) किसी शैक्षणिक सत्र में शैक्षणिक कार्यक्रम के कैलेंडर में निम्नलिखित प्रणालीयां होगी, अर्थात :-

(क) सेमेस्टर प्रणाली में, एक शैक्षणिक वर्ष में सेमेस्टर विराम यदि कोई हो,के अलावा दो नियमित सेमेस्टर होंगे और एक वैकल्पिक ग्रीष्मकालीन अवधि होगी, और प्रत्येक नियमित सेमेस्टर परीक्षा अवधि सहित सामान्यतया लगभग उन्नीस सप्ताह का होगा; या

(ख) ट्रायमेस्टर प्रणाली में किसी शैक्षणिक वर्ष में मध्यावधि विराम यदि कोई हो, के अलावा तीन नियमित अवधियां और एक वैकल्पिक ग्रीष्म अवधि होगी और प्रत्येक नियमित ट्रायमेस्टर परीक्षा अवधि सहित सामान्यतया लगभग तेरह सप्ताह का होगा।

(3) शैक्षणिक सत्र के दौरान अनुसूचित महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रमों की सही तारीखों को शैक्षणिक कैलंडर में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) सत्र के दौरान शैक्षणिक कैलंडर या इसमें किसी परिवर्तन का अनुमोदन संस्थान के निदेशक द्वारा किया जाएगा।

8. रजिस्ट्रीकरण- (1) सीनेट, प्रत्येक अध्ययन कार्यक्रम से संबंधित छात्रों के रजिस्ट्रीकरण के लिए पृथक प्रक्रिया अधिकथित करेगा और रजिस्ट्रीकरण में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

(क) प्रत्येक सेमेस्टर या ट्रायमेस्टर के प्रारंभ होने से पूर्व, प्रत्येक छात्र, जब तक कि सीनेट द्वारा अन्यथा छूट न दी गई हो, शैक्षणिक कैलेंडर में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण तारीख को उस सेमेस्टर के दौरान अध्ययन किए जाने वाले विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्टर करेगा;

(ख) प्रत्येक सेमेस्टर या ट्रायमेस्टर में रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस का संदाय एक पूर्वापेक्षा होगी जिसके लिए संस्थान ऐसे संदायों के प्रकार को अग्रिम रूप से ही विनिर्दिष्ट करेगा और किसी भी बकाया देय का संदाय रजिस्ट्रीकरण से पहले किया जाएगा।

(2) वास्तविक कारणों से, छात्रों को विलंब शुल्क आदि के संदाय पर शैक्षणिक कैलेंडर में विनिर्दिष्ट तारीख को सेमेस्टर या ट्रायमेस्टर में विलंब से रजिस्टर करने की अनुज्ञा दी जा सकती है ।

(3) सीनेट द्वारा अधिकथित सन्नियमों के अनुसार, किसी भी छात्र का रजिस्ट्रीकरण सेमेस्टर या ट्रायमेस्टर के दौरान आंशिकतः या पूर्ण रूप से रद्द या परिवर्तित किया जा सकता है ।

(4) किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड तभी प्रदान किया जाएगा जब सीनेट द्वारा अधिकथित अनुसार छात्र पाठ्यक्रम में सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत हो।

9. अनुपस्थिति की अनुमति - (1) अध्ययन के दौरान अनुपस्थिति के लिए सभी रजिस्ट्रीकृत छात्रों को निरुत्साहित किया जाएगा, परंतु वास्तविक कारणों के लिए, किसी छात्र को सीनेट द्वारा किए गए उपबंधों के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति अनुदत्त की जा सकती है।

(2) सीनेट द्वारा अनुमोदित उपबंधों के अध्यधीन, अनुपस्थिति की अनुमति से वित्तीय सहायता का नुकसान हो सकता है, किंतु यह अध्ययन के कार्यक्रम के लिए सीनेट द्वारा अनुमोदित न्यूनतम उपस्थिति की अपेक्षा के उल्लंघन में नहीं होगी।

(3) अनुमति के बिना विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक अनुपस्थिति का परिणाम ऐसी अनुपस्थिति की ऐसी पूरी अवधि या उसके किसी भाग के लिए, सीनेट द्वारा यथा अधिकथित, वित्तीय सहायता, यदि कोई हो, की हानि के अतिरिक्त छात्र का अध्ययन कार्यक्रम से निष्कासन हो सकता है; परंतु ऐसी अनुपस्थिति का कारण बताने के लिए छात्र को युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

(4) वास्तविक कारणों से, छात्रों या अध्येताओं को किसी कार्यक्रम से अस्थायी रूप से वापसी अनुज्ञात की जा सकती है, जो साधारणतया विराम के साथ या बिना अवकाश के दो सेमेस्टर से अधिक नहीं हो सकेगी और संस्थान ऐसे छात्रों को सीनेट द्वारा यथाविनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर उनके कार्यक्रम की 'निरंतरता को बनाए रखने के लिए अनुज्ञात कर सकता है।

(5) अध्ययन के दौरान वित्तीय सहायता का लाभ लेने वाले छात्र या अध्येता, संस्थान और उसके वित्तपोषण अभिकरण के उपबंधों का पालन करेंगे।

10. शैक्षणिक अपेक्षाएँ.- (1) सीनेट, संस्थान में अध्ययन के सभी अनुमोदित शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम आवासीय अवधि विनिर्दिष्ट करेगी।

(2) एक सेमेस्टर या ट्रायमेस्टर की आवासीय अवधि शैक्षणिक मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार एक समेस्टर या ट्रायमेस्टर के दौरान पाठ्यक्रम या अनुसंधान के सामान्य या विनिर्दिष्ट लोड के रजिस्ट्रीकरण के समतुल्य होगी।

(3) सभी अनुमोदित शैक्षणिक कार्यक्रम, शैक्षणिक क्रेडिट आधारित होंगे और पाठ्यक्रम कार्य या अनुसंधान कार्य या दोनों के माध्यम से स्नातक की अपेक्षा पूरी करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट की अपेक्षा सीनेट द्वारा यथाविनिर्दिष्ट होगी ।

(4) यदि ऐसा कहा जाता है कि सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है, तो सीनेट ऊनता वाले पाठ्यक्रमों सहित, पाठ्यक्रमों की संरचना विनिर्दिष्ट करेगी तथा डॉक्टरेट कार्यक्रम के लिए अनुसंधान सारांश के अनुमोदन तथा व्यापक परीक्षण की पूर्णता की अपेक्षा होगी।

(5) किसी शैक्षणिक कार्यक्रम में प्रवेश दिए गए किसी छात्र को, संस्थान में या अन्यत्र किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मामले के गुणागुण के आधार पर समुचित समझे गए अनुसार, सीनेट द्वारा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अपेक्षाओं से शिथिलीकरण अनुदत्त किया जा सकता है ।

11. शिक्षण तथा मूल्यांकन- (1) प्रत्येक शैक्षणिक कार्यक्रम में विभिन्न पाठ्यक्रम शामिल होंगे और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा, जब तक कि सीनेट द्वारा अन्यथा अनुमोदित न हो ।

(2) प्रत्येक कार्यक्रम या पाठ्यक्रम को, उसके क्रेडिट के साथ, सीनेट द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(3) प्रत्येक अनुमोदित पाठ्यक्रम, जब भी प्रस्तावित किया जाए, समनुदेशित संकाय प्रभारी द्वारा संचालित किया जाएगा जो अपेक्षित संख्या में सह-संकाय सदस्यों या प्रशिक्षकों या अनुशिक्षकों की सहायता ले सकेंगे।

(4) परीक्षाओं का संचालन, छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और सेमेस्टर के अंत में ग्रेड प्रदान किया जाना, सीनेट द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार होगा।

(5) किसी भी सेमेस्टर या ट्रायमेस्टर के दौरान किसी विभाग, विद्यालय या केन्द्र द्वारा प्रस्तावित सभी पाठ्यक्रमों की सूची को संबंधित डीन (शैक्षणिक) के परामर्श से संबन्धित विभाग या विद्यालय या केंद्र द्वारा सभी नियत अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, सेमेस्टर या ट्रायमेस्टर की शुरुआत से पहले अंतिम रूप दिया जाएगा।

(6) किसी समेस्टर या ट्रायमेंस्टर के दौरान प्रस्तावित किए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों के लिए, डीन (शैक्षणिक) के परामर्श से संबंधित विभाग या विद्यालय या केंद्र द्वारा संकाय प्रभारी, सह-संकाय सदस्यों और अनुशिक्षक को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(7) पाठ्यक्रमों में रजिस्ट्रीकृत छात्रों या अध्येताओं की अंतिम सेमेस्टर या अंतिम सत्र परीक्षा के अतिरिक्त योगात्मक या रचनात्मक रीति में मूल्यांकन किया जाएगा जैसा सीनेट द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(8) ऐसे छात्र जो वास्तविक कारणों से किसी भी परीक्षा में बैठने में असफल रहते हैं, उन्हें सीनेट द्वारा अधिकथित प्रक्रियाओं के अनुसार मेक अप या छूटी हुई परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दी जा सकती है।

(9) पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक छात्र को सीनेट द्वारा विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुसार ग्रेड प्रदान किया जाएगा।

(10) एक बार दिए गए ग्रेड को तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक कि छात्र सीनेट द्वारा विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुसार ग्रेड बदलने के लिए अनुरोध नहीं करता है।

(11) किसी भी सेमेस्टर या ट्रायमेस्टर में शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन समय-समय पर सीनेट द्वारा विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

12. परियोजना और शोध प्रबंध मूल्यांकनः संस्थान के प्रमाणपत्र या डिप्लोमा कार्यक्रम के सिवाय प्रत्येक शैक्षणिक कार्यक्रम में एक परियोजना या शोध प्रबंध का उपबंध होगा और परियोजना या शोध प्रबंध का मूल्यांकन समय-समय पर सीनेट द्वारा विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुसार किया जाएगा।

13. छात्र आचरण और अनुशासन.- (1) प्रत्येक छात्र संस्थान के परिसर के भीतर और बाहर दोनों जगह अच्छा आचरण बनाए रखेगा।

(2) कोई भी छात्र ऐसे किसी क्रियाकलाप में संलिप्त नहीं होगा जिससे संस्थान की छवि खराब हो।

(3) प्रत्येक छात्र संस्थान के शिक्षकों, प्रशासकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति उचित सम्मान और शिष्टाचार दिखाएगा; और सहपाठियों के साथ मित्रतापूर्ण सदव्यवहार बनाए रखेगा और उन्हें परिसर के आगंतुकों और निवासियों के प्रति भी उचित ध्यान देना चाहिए और शिष्टाचार का पालन करना चाहिए ।

(4) सीनेट, संस्थान के छात्रों के लिए आचार संहिता विनिर्दिष्ट करेगी और आचार संहिता के किसी भी उल्लंघन के लिए आचार संहिता के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

(5) रैगिंग या लैंगिक उत्पीड़न या दोनों, किसी भी रूप में, पूर्णतया प्रतिषिद्ध होंगे और किसी भी उल्लंघन को गंभीर अपराध के रूप में माना जाएगा, जिसका परिणाम संस्थान से बर्खास्तगी हो सकती है।

(6) सीनेट रिपोर्ट किए गए कथित दुराचरण की जांच के लिए अनुशासन और कल्याण समिति का गठन करेगी और उचित कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगी ।

(7) सीनेट, इस समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई के लिए प्रक्रिया भी विनिर्दिष्ट करेगी।

(8) किसी छात्र या छात्रों के समूह द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन को किसी भी छात्र, शिक्षक, निदेशक या संस्थान के किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा समिति को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

14. डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करना- (1) छात्र को संबंधित डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए विनिर्दिष्ट संख्या में क्रेडिट पूरे करने होंगे।

(2) किसी छात्र को डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र अपेक्षाओं को पूरा करने वाला माना जाएगा, यदि छात्र ने-

क) सभी विनिर्दिष्ट क्रेडिट अर्जित किए हैं;

ख) न्यूनतम अपेक्षित ग्रेड अंक या क्रेडिट प्राप्त किए हैं;

ग) न्यूनतम शैक्षणिक और आवासी अपेक्षाओं को पूरा किया है;

घ) संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम द्वारा विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं, यदि कोई हो, का समाधान किया है;

ङ) सीनेट द्वारा विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं का समाधान किया है ।

(3) उप-अध्यादेश (1) के अधीन अपेक्षाओं के अतिरिक्त, छात्र संस्थान के सभी बकाया चुकाएगा और कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं हो।

(4) छात्र, जिसने डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है, को सीनेट द्वारा आगामी दीक्षांत समारोह में समुचित डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए शासी बोर्ड को अनुशंसित किया जाएगा।

(5) कोई डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र केवल सीनेट द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात् ही प्रदान किया जा सकता है, तथापि संस्थान के निदेशक के अनुमोदन से अनंतिम प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है ।

(6) अत्यंत आपवादिक परिस्थितियों में, जहां डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करने की अपेक्षाओं के घोर उल्लंघन होने का पता पश्चातवत प्रक्रम पर लगे, तो सीनेट प्रदान की गई डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र वापस लेने के लिए शासी बोर्ड को सिफारिश कर सकती है।

15. अध्ययन बोर्ड.- (1) विभाग या विद्यालय या केंद्र के शैक्षणिक प्रयासों को चालू रखने और पुनर्विलोकन करने के लिए अध्ययन बोर्ड के सृजन का प्रस्ताव विभाग और विद्यालय कर सकते हैं।

(2) अध्ययन बोर्ड के पास शिक्षण विभागों या स्कूलों के विभिन्न कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों की अन्तर्वस्तु तैयार करने या पुनरीक्षित करने या अद्यतन करने और उसे अनुमोदन करने के लिए सीनेट को प्रस्तुत करने की शक्ति होगी और इसके अतिरिक्त, अध्ययन बोर्ड नियमित रूप से चल रहे शैक्षणिक कार्यक्रम की निगरानी और पुनर्विलोकन करेगा।

(3) अध्ययन बोर्ड का गठन सीनेट के अध्यक्ष द्वारा यथा अधिकथित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा और पदेन सदस्यों से भिन्न अध्ययन बोर्ड के एक सदस्य का कार्यकाल प्रारंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(4) अध्ययन बोर्ड की बैठकें वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी।

16. किसी भी प्रस्ताव और ऑनलाइन बैठक के विकल्प का परिचालन.- जहां संस्थान के शैक्षणिक मामलों पर समितियों या बोर्डों जैसे निकायों द्वारा कार्रवाई की जानी है, वहां अत्यावश्यकता की दशा में, अध्यक्ष या निदेशक परिचालन द्वारा सदस्यों की प्रस्ताव संबंधी राय ले सकते हैं।

परंतु कि उस पर की गई कार्रवाई के साथ राय को अध्ययन बोर्ड के सभी सदस्यों और सीनेट को संसूचित किया जाएगा और ये सभी निकाय, की गई कार्रवाई की पुष्टि करने के लिए वास्तविक रूप से या आभासी रूप से बैठक कर सकते हैं।

प्रो. वी. पलानीमुथु, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./567/2024-25]

NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY, ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT

NOTIFICATION

Thanjavur, the 24th September, 2024

F. No. I-12052/3/2023-ID.—In exercise of the powers conferred by section 25 and section 26 of the National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Act 2021 (19 of 2021), the Senate, hereby makes the following Ordinances, namely: -

1. Short title and commencement. **-** (1) These Ordinances may be called the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Thanjavur, Tamil Nadu Academic Ordinances, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In this Ordinances, unless the context otherwise requires -

(a) "academic" means the activities concerned with teaching and research of the Institute;

(b) "Act" means the National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Act, 2021 (19 of 2021);

(c) "approved" means course approved by the appropriate body using the guidelines provided by the Senate;

(d) "calendar" means the dates for various academic activities;

(e) "centre" means a unit engaged in specified activities;

(f) "comprehensive examination" means written or oral evaluation or both of a Post-Graduate student to assess preparation for starting research work;

(g) "course" means a sequence of topics which can be covered during a semester or trimester;

(h) "credit" means the approved weightage of a course which is based on the total effort expected of a student;

(i) "curriculum of a programme" means a specified set of courses and other academic activities;

(j) "department" means a group of academic staff pursuing similar academic interests;

(k) "end-semester" means the examination conducted at the end of a semester or trimester during the specified dates;

(l) "interdisciplinary programme" means an academic programme involving more than one department or school or centre;

(m) "make-up or missed examination" means an examination meant for a student who is not able to appear in the regular scheduled examination;

(n) "mid-semester examination" means examination conducted during middle of the semester;

(o) "programme" means the sequence of academic activities leading to a Degree or Diploma or Certificate;

(p) "registration" means enrolment of the courses or research by the student who wants to pursue during a semester or trimester as required by the programme of study;

(q) "session" means the period comprising two regular semesters or three regular trimesters along with a summer-term; and

(r) "student" means a bona-fide student on the rolls of the Institute.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act or Statutes shall have the meaning respectively assigned to them under the Act or Statutes.

3. Academic programmes – The academic degree, diploma and certificate programme shall be as per the following norms, namely: -

(i) focus on the advancement of learning and dissemination of knowledge in the area of Food Technology and Allied Sciences, Business Management, and Entrepreneurship through different academic programmes may be proposed by the Departments or schools or centres that may be established, as per the provision of the Act and the Statutes;

(ii) each academic programme offered by the Institute under these Ordinances shall be offered under the programme as specified by the Senate from time to time;

(iii) the Senate, after examining each proposal for revisions of an existing academic programme or introduction of a new academic programme on the basis of its viability and desirability as per the Act and Statutes, shall make suitable recommendations to the Board of Governors of the Institute for approval;

(iv) each specific programme shall specify the admission procedure, permissible intake, eligibility criteria or any other suitable details for each academic programme of the Institute;

(v) Curriculum or change of curriculum of each academic programme of the Institute shall require prior approval of the Senate;

(vi) the Senate shall approve the format of each Degree or Diploma or Certificate to be awarded to a student after successful completion of the academic programme and any revision in the format of a Degree or Diploma or Certificate shall be made after approval of the Senate;

(vii) Conferring an honorary doctoral degree or degree *honoris causa* of the Institute shall be in accordance with the guidelines of the Institute governing doctoral degree.

4. Admission. – (1) The admission to every approved academic course or programme of Study in the Institute shall be based on merit, assessed through transparent and reasonable criteria, as approved by the Senate, looking into the scope and nature of the respective course or programme and the Institute shall disclose the same through a prospectus or admission brochure, prior to the commencement of the process of admission every year and unless otherwise necessary, national level entrance examinations shall be the choice for student admissions to the Institute.

(2) In addition to the test merit as specified above, depending on the programme, group-discussions or personal interview or both may be held, as may be decided by the Senate.

(3) The number of students to be admitted to any approved academic programme of the Institute shall be as decided by the Senate from time to time in light of the projections about the requirement of such human resource as well as the resources ensured by the Institute, and the Institute shall follow the reservation policy of the Central Government.

(4) The admission requirements and procedures for all categories of students shall be as laid down by the Senate.

(5) Every student, admitted provisionally or otherwise to any academic programme of the Institute shall submit copies of the qualifying Degree or Diploma or provisional Certificate and such other documents as specified by the Senate, physically or digitally, for due verification within the stipulated period.

(6) The admission, provisional or otherwise, of any student who either does not submit the required documents by the specified date or fails to meet any other stipulated requirement for admission, may be cancelled by the Senate.

(7) It shall be the responsibility of the Institute to ensure that the admission to an academic programme takes place as per the sanctioned intake and the seats reserved for the underprivileged sections of society as per the provisions of these Ordinances.

(8) The admission of a student may also be cancelled by the Senate, at any later time, if it is found that the student has furnished some false information or has suppressed some relevant information while seeking admission.

5. Bachelor's Degree programme.- (1) The admission to the Bachelor Degree programme shall be made once in a year.

(2) The number of Foreign Nationals or Non-Resident Indians or Persons of Indian Origin (PIO) to be admitted to the Bachelor Degree programme shall be fixed as per the provisions laid down in the programme.

(3) In Bachelor Degree programme, students shall be admitted only to the first year of the academic programme but the Senate may make provisions for lateral entries with multi-entry and multi-exit options.

(4) If a student leaves the programme mid-way without completing it, he shall not be entitled to receive a pass certificate or any other appropriate award.

(5) All the Bachelor Degree programme, except Dual Degree Programmes and Integrated Programmes, normally shall be of four years' duration.

(6) The Senate may permit a limited number of students to change their programme of study as per the availability of the seats or interest of such students or academic progress of the student.

(7) The students in Bachelor Degree programme shall be eligible on the basis of merit for an Integrated Dual Degree Programme or a double-major or additional minor degree as per the provisions which shall be laid down by the Senate.

6. Post-Graduate programme. – (1) The eligibility requirements and frequency of admission to Post-Graduate programme including Post-Graduate Degree, Post-Graduate Diploma or Post Graduate Certificate Courses, Executive Master Degree programme and Doctoral Degree Programme, shall be decided by the Senate; provided the Executive Master Degree Programmes shall cater to the training needs of the working professionals.

(2) The Candidates studying in the final year of their qualifying degree may be considered for provisional admission to Post-Graduate Programme; provided they satisfy all other requirements laid down by the Senate.

(3) The Departments or schools or centres, offering the Post-Graduate programme may stipulate additional requirements over and above the minimum admission requirements stipulated by the Senate for admission to Post-Graduate Programme.

7. Academic calendar. - (1) The Academic calendar shall be the schedule of academic activities pertaining to academic programme and programme of study during an academic session.

(2) The calendar for academic programme in an academic session shall consist of the following systems, namely: -

(a) in semester system, there shall be two regular semesters and an optional summer-term apart from semester breaks, if any, in an academic year and each regular semester shall normally consist of about nineteen weeks including examination period; or

(b) in trimester system, there shall be three regular terms and an optional summer-term apart from mid-term breaks, if any, in an academic year and each regular trimester shall normally consist of about thirteen weeks including examination period.

(3) The exact dates for the important academic events scheduled during the academic session shall be specified in the academic calendar.

(4) The academic calendar, or any change therein during the session, shall be approved by the Director of the Institute.

8. Registration. – (1) The Senate shall lay down the procedures for registration of students pertaining to each programme of study separately and registration shall comprise of the following, namely: -

(a) before the commencement of each semester or trimester, every student, unless otherwise exempted by the Senate, shall register for the specified courses to be studied during that semester on the registration date as specified in the academic calendar;

(b) payment of fees for every semester or trimester shall be a prerequisite for the registration for which the Institute shall specify the mode of such payments well in advance and any outstanding dues shall be paid before registration.

(2) For bonafide reasons, students may be permitted to register late in a semester or trimester on the date so specified in the academic calendar on payment of late fee.

(3) The registration of any student may be cancelled or changed during the semester or trimester, partly or wholly, according to the norms laid down by the Senate.

(4) Grading in a course shall be awarded only if the student is duly registered in the course as laid down by the Senate.

9. Leave of absence. – (1) Absence during the studies shall be discouraged for all the registered students; provided, for bonafide reasons, a student may be granted leave of absence as per the provisions made by the Senate.

(2) Leave of absence may cause loss of financial assistance, subject to the provisions approved by the Senate, but shall not be in contravention of the minimum attendance requirement for the programme of study as approved by the Senate.

(3) Absence without permission beyond specified duration may result in termination of the student from the programme of study, in addition to loss of financial assistance, if any, for the entire period of such absence or part thereof, as laid down by the Senate; provided the students shall be given a reasonable opportunity to explain such absence.

(4) For bonafide reasons, students or scholars may be allowed for temporary withdrawal from a programme ordinarily not exceeding two semesters with or without break and the Institute may allow for continuation of programme on payment of such fee as specified by the Senate.

(5) The students or scholars availing financial assistance during the study shall abide by the provisions of Institute and their funding agency.

10. Academic requirements. – (1) The Senate shall specify the minimum residency period for all the approved academic programmes of study in the Institute.

(2) The residency period of one semester or trimester shall be equivalent to that of registration of a normal or specified load of courses or research during one semester or trimester as per academic guidelines.

(3) All approved academic programmes shall be on academic credit basis and the requirement of minimum credits through course work or research work or both for meeting the graduation requirements shall be as specified by the Senate.

(4) The Senate shall specify the structure of courses, including deficiency courses, if so stated to be successfully completed for all the academic programmes and the Doctoral programme shall require approval of research-synopsis and completion of comprehensive examination.

(5) A student admitted to any academic programme may be granted relaxation from the specified academic requirements by the Senate, in view of the work done in the Institute or elsewhere, as considered appropriate on the merit of each case.

11. Teaching and evaluation – (1) Each academic programme shall comprise of different courses and the medium of instruction shall be English, unless and otherwise approved by the Senate.

(2) Each programme or course along with its credits shall be approved by the Senate.

(3) Each approved course, whenever offered shall be conducted by the assigned faculty-in-charge, who may take the assistance of required number of co-faculty members or instructors or tutors.

(4) Holding the examinations, evaluating the performance of the students and awarding the grades at the end of the semester shall be as per the norms specified by the Senate.

(5) The list of all courses to be offered by a Department or School or Centre during any semester or trimester shall be finalized, before the beginning of the semester or trimester, by the concerned department or school or center taking into consideration of all the stipulated requirements, in consultation with Dean (Academics).

(6) The faculty-in-charge, co-faculty members and tutors for all the courses to be offered, during any semester or trimester shall be specified by the concerned department or School or Centre in consultation with Dean (Academics).

(7) Students or scholars registered in courses shall be evaluated in a summative or formative manner in addition to end-semester or end-term examination as may be specified by the Senate.

(8) Students who fail to appear in any examination, due to bonafide reasons, may be permitted to appear in the make-up or missed examination as per the procedures laid down by the Senate.

(9) Each student, registered for a course, shall be graded as per the norms specified by the Senate.

(10) A grade once awarded shall not be changed unless the student requests for change of grade as per the norms specified by the Senate.

(11) The academic performance evaluation in any semester or trimester shall be done as per the norms specified by the Senate from time to time.

12. Project and thesis evaluation. – Every academic programme of the Institute except Certificate or Diploma programmes shall have a provision of a project or thesis and the evaluation of the project or thesis shall be carried out as per the norms specified by the Senate from time to time.

13. Conduct and discipline of student. – (1) Each student shall maintain good conduct both within and outside the campus of the Institute.

(2) No student shall indulge in any activity which tends to bring down image of the Institute.

(3) Each student shall show due respect and courtesy to the teachers, administrators, officers and employees of the Institute; and maintain good neighbourly behavior with fellow students and they should also pay due attention and courtesy to the visitors and residents of the campus.

(4) The Senate shall specify the Code of Conduct for the students of the Institute and any violation of the Code of Conduct shall be dealt as per the provisions of the Code of Conduct.

(5) Ragging or sexual harassment or both, in any form, shall be strictly prohibited and any violation shall be treated as serious offence, which may lead to dismissal from the Institute.

(6) The Senate shall constitute a Discipline and Welfare Committee to investigate the alleged misdemeanor reported and may recommend a suitable course of action.

(7) The Senate shall also specify the procedures for dealing with the recommendations of the Committee.

(8) Any violation of the Code of Conduct by a student or a group of students can be referred to the Committee by any student, faculty, Director or any other functionary of the Institute.

14. Award of Degree or Diploma or Certificate. – (1) A student has to complete specified number of credits for the award of the respective Degree or Diploma or Certificate.

(2) A student shall be deemed to have completed the Degree or Diploma or Certificate requirements, if the student has, -

(a) earned all the specified credits;

(b) attained the minimum required grade points or credits;

(c) satisfied the minimum academic and residence requirements;

(d) satisfied all the requirements for the concerned academic programme specified, if any;

(e) satisfied all the requirements specified by the Senate.

(3) In addition to the requirements under sub-ordinance (1), the student shall clear all the dues to the Institute and shall have no pendency of disciplinary proceeding.

(4) A student who has completed all the requirements for the award of Degree or Diploma or Certificate shall be recommended by the Senate to the Board of Governors for the award of appropriate Degree or Diploma or Certificate in the ensuing Convocation.

(5) A Degree or Diploma or Certificate may be awarded only after the Senate has approved such award, however, a provisional certificate may be issued with the approval of the Director of the Institute.

(6) Under extremely exceptional circumstances, where gross violation of the requirements for the award of Degree or Diploma or Certificate is detected at any later stage, the Senate may recommend to the Board of Governors to withdraw the Degree or Diploma or Certificate, already awarded.

15. Board of Studies. – (1) The departments and schools may propose the creation of Board of Studies in order to run and review the academic endeavors of the Department or School or Centre.

(2) The Board of Studies shall have a power to prepare or revise or update a content of different programmes or courses of teaching departments or schools and submit to the Senate for approval and in addition, the Board of Studies shall regularly monitor and review the ongoing academic programme.

(3) The Board of Studies shall be constituted by the Chairperson of Senate as per the criteria laid down by the Senate and the tenure of a Member of the Board of Studies other than ex-officio members shall be initially for a period of three years.

(4) The meetings of the Board of Studies shall be arranged at least once in a year.

16. Circulation of any proposal and online meeting option. **-**Where the academic affairs of the Institute are to be dealt by the bodies like Committees or Boards, in case of exigency, the Chairman or Director may seek the opinion of the Members on the proposal by “circulation”.

Provided that the opinion together with the action taken thereon shall be communicated to all the Members of Board of Studies and to the Senate and all these bodies may meet either physically or virtually to confirm the action taken.

Prof. V. PALANIMUTHU, Director

[ADVT.-III/4/Exty./567/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA